



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Sadashiv Kisan Lokhande** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. 249 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	प्रेम सुरेश आघाव	श्री सु मो० 9422239999	7	क्र० 1 अहमदनगर
2	गार्गी निलेश मदाणे	श्री निलेश मो० 7738394621	1	क्र० 1 अहमदनगर
3	दर्वेश राजेश आमराले	श्री राजेश मो० 7507535549	1	कैट औरंगाबाद
4	श्राव्या देवेन्द्र जावले	श्री देवेन्द्र मो० 9422233783	1	क्र० 1 अहमदनगर
5	अनिरुद्ध उमेश डावखर	उमेश मो० 9421886972	1	कैट औरंगाबाद
6	अनुष्का नवनाथ लोंढे	श्री नवनाथ मो० 8805022801	4	क्र० 2 अहमदनगर
7	पियुष कुमार सिद्धार्थ भागवंत	श्री सिद्धार्थ मो० 7588358282,9766676398	5	क्र० 1 अहमदनगर
8	अदित्य आशिष भंडारी	श्री आशिष मो० 9890211999,8668422387	2	क्र० 1 अहमदनगर
9	साई विनायक बडे	श्री विनायक मो० 9422172360	1	क्र० 1 अहमदनगर
10	स्वरा जयदेव कांडेकर	श्री जयदेव मो० 8888800588	1	क्र० 1 अहमदनगर

क्र० पृ० उ०
प. जाक 2

निर्देश :-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि :

1. **Shri Sadashiv Kisan Lokhande** माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **MUMBAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)